UPMO010071512026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश**,** कक्ष संख्या-**1,** मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी- (अनिल कुमार-IV)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06124**

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं0–2195 / 2026

पुष्पेन्द्र सिंह उर्फ भूरा उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र श्री जन्म सिंह, निवासी ग्राम भवालपुर बांसली, थाना ऐचोड़ा कम्बोह, जिला सम्भल।

.....आवेदक / अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....वादी / अभियोजन पक्ष।

सत्र परीक्षण सं0–30 / 2024,
मु0अ0सं0–649 / 2023,
धारा– 3 / 25 आर्म्स एक्ट,
थाना–मझोला, जिला मुरादाबाद।

1– आवेदक / अभियुक्त पुष्पेन्द्र सिंह उर्फ भूरा की ओर से इन आधारों पर द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उक्त वाद में रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी की अ0सं0 598 / 2023, धारा 302, 307, 120बी भा0दं0सं0 के केस में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अन्तरिम जमानत दिनांक 10.07.2026 तक स्वीकृत है। सभी सह–अभियुक्तगण अनिकेत, नीरजपाल, सूर्यकान्त व उसकी स्वयं की जमानत आयुध अधिनियम के प्रकरणों में, अ0सं0 598 / 2023, धारा 302, 307, 120बी भा0दं0सं0 के केस में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अन्तरिम जमानत स्वीकृत होने के दौरान ही हुई हैं। प्रार्थी के पास से से एक तमंचा 315 बोर, दो जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस की झूठी बरामदगी दर्शायी गयी है, उक्त बरामदगी का जनता का कोई गवाह नहीं है। प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उपरोक्त आधारों पर उसे जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक / अभियुक्त के पिता / पैरोकार जन्म सिंह द्वारा शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.23 12:15:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निरस्त हो चुका है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3— अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा उ0नि0 श्री अनंगपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत फर्द बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 31.08.2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत की गयी कि, दिनांक 31.08.2023 को मु0अ0सं0 598/2023, धारा 302,307,120बी भा0दं0सं0 के विवेचक निरीक्षक श्री सतीश कुमार के निर्देशानुसार मुझ उपनिरीक्षक अनंगपाल सिंह मय उ0नि0 रामवीर सिंह व हमराही हेड कां0 दिनेश कुमार व कां0 मोनू मय सरकारी गाड़ी बोलेरो यू0पी0—32ई0जी02215 मय मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र जनम सिंह निवासी भावलपुर थाना ऐचोड़ा कम्बोह, जनपद सम्भल, जो हवालात मर्दाना में बन्द है, को निकाल कर मय हथकड़ी रस्सा के थाना हाजा से रपट नं0 10 समय 05:30 बजे बा—उम्मीदगी रवाना होकर अभियुक्त के बताये स्थान गांव भावलपुर, थाना ऐचोडा कम्बोह, सम्भल में अभियुक्त के मकान पर आये। बरामदगी से पूर्व मकसद बताते हुए जनता के गवाहान को फराहम करने का प्रयास किया गया किन्तु भलाई—बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। इसके पश्चात पुलिस वालों द्वारा एक दूसरे की तलाशी ले देकर यह विश्वास किया कि किसी के पास अपराध से संबंधित कोई वस्तु नहीं है। अभियुक्त गाड़ी से उतरकर आगे—आगे चलकर मकान के अन्दर बने पशु को बांधने वाले कमरे के पास रखे एक कबाड़ के कट्टे के पीछे से एक तमंचा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक लिफाफे में मृतक अनुज चौधरी के सात फोटो व शूटर के तीन फोटो निकाल कर दिये। अभियुक्त द्वारा इस तमंचे के बारे में पूछने पर बताया कि उसने इस तमंचे से अपने साथियों के साथ मिलकर नये मुरादाबाद के जंगल में तमंचे को चैक करने के लिए फायर किया था तथा फोटो के बारे में बताया कि यह मृतक अनुज चौधरी की फोटो व शूटर की फोटो है, जिन्होंने अनुज चौधरी की हत्या की थी। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराया गया। अभियुक्त के कब्जे से बरामद तमंचा व कारतूस आदि को एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में रखकर सिलकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। वादी की प्रश्नगत तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ भूरा के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

5– मैंने विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता को विनम्रतापूर्वक सुना एवं पत्रावली का तत्समय सम्यक् अवलोकन किया।

6– प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त मुख्य अपराध सं0 598/2023, अन्तर्गत धारा 302,307,120बी भा0दं0सं0 के केस में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम जमानत पर है। आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद होने का आरोप है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं दर्शाया गया है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अतः मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त पुष्पेन्द्र सिंह उर्फ भूरा का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अंकन रू0 50,000/– का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा इसी धनराशि के दो ज़मानती, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, निम्न शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए :–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

दिनांक–22.07.2026

(अनिल कुमार–IV)
(आई0डी0 नं0 यू0पी0 6124)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
मुरादाबाद।